1

प्राचीन भारत में योद्धा प्रणाली

हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि कोई राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब उसमें रहने वाले लोग सुरक्षित हों। इसका अर्थ है कि राष्ट्र के हर नागरिक में पूर्ण रूप से सुरक्षित होने की भावना आ जाए। राष्ट्र के सुरक्षा बलों का कार्य है राष्ट्र की रक्षा करना। सेना केवल राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान नहीं करती है अपितु समाज में स्थिर प्रशासन और अनुशासन भी बनाए रखती है।

प्राचीन भारतीय इतिहास अधिकतर संस्कृति पर आधारित है। कबीलों से समाज का निर्माण होता है। सामाजिक ढांचे मिलकर सभ्यता का निर्माण करते हैं। सभ्यता के द्वारा हमें सांस्कृतिक विरासत और संगठित शासन तंत्र के बारे में पता चलता है। पूर्व वैदिक काल का पशुपालक समाज उत्तर वैदिक काल तक आते-आते कृषक समाज से परिवर्तित तथा स्थापित हो जाता है।

कबीले का 'सरदार' अथवा नेता गोपति (मवेशियों का स्वामी) कहलाता था। बाद में इन्हें 'भूपति' (जमीन का स्वामी) कहा गया। शिकार के लिए प्रयोग किए गए तीर कमान युद्ध के अस्त्र-शस्त्र के रूप में प्रयुक्त होने लगे। सामाजिक परिवर्तन होने के कारण युद्ध व सेना में अस्त्र व शस्त्र के नए उपकरणों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आपः-

- राष्ट्र की सुरक्षा, सीमा और युद्ध के कारणों के बारे में जानकारी पा सकेंगे;
- सेना के निर्माण तथा समयानुसार हुए परिवर्तनों को समझ सकेंगे;
- संयुक्त भारत को परिभाषित तथा युद्ध प्रणाली और हमारे पूर्वजों द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध उपकरणों की जानकारी पा सकेंगे।

1.1 राष्ट्रीय सीमाओं का निर्माण

लोगों का जीवन उनके निवास स्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से निर्धारित होता है। आइए यह जानें कि सीमाओं के निर्धारण का विचार कैसे आया? इसके लिए हमें अपनी प्राचीनतम सभ्यताओं का इतिहास जानना होगा। भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है, जो खुदाई तथा अन्य साक्ष्यों पर आधारित है। हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो के नागरिक 'सिंधु' नदी के किनारे अपना जीवन प्रारंभ करने लगे। उनके निवास की कोई सीमा रेखा नहीं थी। किन्तु इस सभ्यता के पतन और अदृश्य होने के पश्चात पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम दिशा से कबीलों के आक्रमण प्रारंभ हुए। खेती का कार्य करने के कारण इस स्थानों को 'जनपद' कहा गया।

ऋग्वेद में समाज का मुख्य आधार परिवार को माना गया है। परिवारों के समूह को जाति (Clan) कहा जाता है। जातियों के समूह को 'जन' अथवा कबीला कहा जाता है। जातियों की संख्या बढ़ने के कारण उन्हें अधिक जगह की आवश्यकता होने लगी। तभी से सीमा का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इतिहास की प्रथम सीमा का निर्माण समाज और कबीले वालों ने जानवरों और अन्य जनजातियों से अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किया। कुछ कबीले भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में बस गए। इसी कारण वे अन्य जातियों के संपर्क में आए जिसके फलस्वरूप संघर्ष और युद्ध का जन्म हुआ।

1.2 सेना का निर्माण

1.2.1 सेना क्यों बनाई गयी?

जनजातियां जब दूसरे स्थानों की ओर प्रवास करती हैं तथा वहां पहले से रह रहे लोगों के साथ रहना चाहती है तो इसका क्या परिणाम होता है? इससे दुश्मनी, संघर्ष और युद्ध का जन्म होता है। बढ़ती जनसंख्या तथा लोगों के पलायन के कारण इनकी सीमाओं का विस्तार हुआ। इस कारण इन्हें ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ी जो जमीन, मवेशी और लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ऐसे में सेना का गठन हुआ जिसमें शारीरिक रूप से ताकतवर और योग्य लोग थे। जैसे-जैसे जनजाति बड़ी होती गयी, ये लोग वहीं रहने लगे। इससे समाज का निर्माण हुआ। धीरे-धीरे जमीन जायदाद और विवाह के नियम बनने लगे। इनके नेता को 'भूपति' कहा जाने लगा। यही भूपति आगे जाकर राजा कहलाए।

समाज को चोर और अन्य असामाजिक तत्वों (मवेशी चोर) से खतरा होने लगा। यह रिवाज भी था कि किसी राजकुमारी से विवाह करने हेतु अपनी ताकत या श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ती थी। यदि विवाह के लिए मना किया जाता था, तो वह युद्ध का कारण बनता था। लोग अधिकतर तीन कारणों से युद्ध करते थे- राज्य तथा सम्पत्ति पर अधिकार जमाने हेतु, मवेशियों को चोरी से बचाने के लिए अथवा चोरी हुए मवेशियों को वापिस पाने हेतु या अन्य जाति की महिला से विवाह प्रस्ताव के ठुकराए जाने पर।

क्रियाकलाप 1.1

आपने अवश्य समझ लिया होगा कि मानव जाति समय के साथ विकसित परिवर्तित और समायोजित हुई और अपनी जरूरतों के अनुसार नियम बनाए। मानचित्र पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के स्थान को चिन्हित कीजिए। पंजाब व हरियाणा की प्रमुख नदियों के किनारे बसे गांवों को अंकित करके उनकी तुलना राजस्थान के रेगिस्तान के गांवों से कीजिए। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि जीवन में जल का क्या महत्व है और क्यों बाद के वर्षों में ऐसे क्षेत्र को जीतने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गईं।

हमने यह जाना कि जनजातियों ने समाज और सीमाओं का निर्माण कैसे किया। ये जनजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगीं। इनका युद्ध मवेशी व राज्यों के लिए होता या ये अपनी सुरक्षा के लिए सेना निर्माण करते थे। आइए जानते हैं कि ये सेना भर्ती किस प्रकार करते थे। साथ ही युद्ध के लिए हथियारों का निर्माण कैसे करते थे।

1.2.2 समाज

प्रारंभिक वैदिक समाज में कोई जाति प्रणाली नहीं थी। प्रत्येक का पेशा उसके जन्म के आधार पर नहीं अपितु उसके कौशल व प्राकृतिक व्यवहार पर आधारित होता था। मुखिया, पंडित और योद्धा समाज में विद्यमान थे। प्रारंभिक वैदिक काल में सेना एक नियमित युद्ध समूह नहीं था बल्कि योग्य जनजातीय लोगों का एक समूह था, जिन्हें युद्ध के समय युद्ध के लिए प्रेरित किया जा सकता था। पलायन और जनसंख्या दबाव के कारण शांतिप्रिय कृषि आधारित समाज रणप्रिय समाज में परिवर्तित हो गया।

समाज का बड़ा समूह होने के कारण विवाह आदि के नियम बनाए गए थे। स्थायी समाज के लोगों में परिवर्तन देखने को मिलता है कि किस प्रकार लोगों को समाज के अंतर्गत विशेष कार्य करने को दिए गए। ये कार्य उन्हें उनकी क्षमता के आधार पर दिए जाते थे। सामाजिक सद्भाव, शांति व सामंजस्यता हेतु एक जाति के लोगों को विभिन्न समूहों में बांटा जाता था। ये समूह उनके कार्य पर आधारित होते थे। उदाहरण के लिए किसान, बढ़ई, व्यापारी, वैश्य बन गये जबकि पुजारी को ब्राह्मण और योद्धा को क्षत्रिय कहा जाने लगा। इस विभाजन को समाज की वर्ण व्यवस्था कहा जाने लगा। कठोर नियम बनने लगे। जनसंख्या बढ़ने के कारण एक केन्द्रीय सत्ता की आवाज उठने लगी जो अनुशासन के लिए कार्य करने वाली थी। इसका मुखिया दंडधारी अथवा राजा होता था जो कि सेना को निर्देश देता था।

1.2.3 सेना का निर्माण कैसे होता था?

समाज का दायरा बढ़ने के साथ-साथ नियम भी सख्त किए गए। यह भी एक तथ्य है कि कठोर नियमों के साथ-साथ उनका पालन भी आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय जाति शासक और योद्धा बन गई। हमारे पूर्वजों ने सेना के मूल्य तथा उसके

महत्व को समझ लिया था। युद्ध अनेक कारणों से होते थे जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति के होते थे; जैसे बहादुरी दिखाना, अपने राज्य को प्रतापी बनाना, अपने राज्य के लिए शहीद होना आदि। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां कमजोर तथा ताकतवार के मध्य युद्ध होता था। इसी कारण एक अलग जाति को सेना के रूप में गठित करने की मांग उठने लगी। इस दोहरी स्थिति में यह विचार आवश्यक हो गया कि शांति के समय एक सेना की आवश्यकता थी। इस प्रकार हमारा परिचय 'स्थायी सेना' जैसे शब्द से हुआ। इस स्थायी सेना में क्षत्रिय या योद्धा समुदाय शामिल था तथा राजा के लिए लड़ना और मरना उनका स्वधर्म बन गया था।

ये योद्धा एक विशिष्ट वर्ग के रूप में समाज में स्थापित हो गए। ये राज्य के सुरक्षाकर्मी और रक्षक माने जाते थे। लोग भी इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा देते थे।

पाठगत प्रश्न 1.1

1. आप वंश से क्या समझते हैं?
2. युद्ध के तीन मुख्य कारण लिखिए?
3. भारत की वर्ण व्यवस्था की किन्हीं तीन जातियों के नाम लिखिए।

1.3 संयुक्त भारत

आप जानते हैं कि परिवारों के छोटे समूह मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। कबीले का मुखिया या राजा हमेशा अपनी शक्ति का विस्तार तथा विशाल साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे। विजय की यह इच्छा व्यक्तिगत गौरव के लिए भी होती थी तथा इसे लोगों द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता था। एक राजा के अधीन बड़े राज्य होने के निम्नलिखित लाभ थे-

- इससे एकता की भावना पैदा हुई और अलग-अलग वंशों, परंपराओं तथा रिवाजों से संबंधित लोग एक राजा के अंतर्गत एक साथ आ गए।
- एक बड़े राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती है। इसलिए बाहरी आक्रमणकारियों के लिए युद्ध करना कठिन कार्य था।
- एक राजा के अधीन बड़े साम्राज्य ने लोगों को एकजुट किया और आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से समाज के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया।

हमारे शास्त्रों में अवश्मेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रकार के यज्ञ में राजा का घोड़ा आजादी से घूमता था। इस घोड़े को रोकने का अर्थ था कि वह व्यक्ति राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ना चाहता है। जहाँ-जहाँ वह घोड़ा जाता था, वहाँ के लोग राजा के अधीन आ जाते थे। साथ ही उन्हें राजा के द्वारा बनाए गए कानूनों व नियमों का पालन करना होता था। एक प्रकार से यह प्रतिष्ठा और मान-सम्मान प्राप्त करने का माध्यम था। बलिदान, अश्वमेध व राजसूय के माध्यम से एक क्षेत्र पर शासक अपना वर्चस्व स्थापित करता था।

टिप्पणी

1.3.1 युद्ध के हथियार

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे? धनुर्वेद और नीति प्रकाश में युद्ध के विभिन्न हथियारों और उनके वर्गीकरण का विस्तार से वर्णन किया गया है। हथियारों को उनके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। प्रथम फेंके जाने वाले (उदाहरण- धनुष-बाण), द्वितीय फेंके नहीं जाने वाले (उदाहरण- तलवार) और तृतीय वे जो मंत्र के साथ प्रयुक्त होते थे। तलवार, तीर-कमान और भाले का प्रयोग ही मुख्य हथियारों के रूप में होता था।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में धनुष और बाण बनाने के साथ-साथ इन्हें सही ढंग से प्रयोग करने के तरीकों का भी वर्णन है। अस्त्र से तात्पर्य मिसाइल जैसे हथियारों से हैं जो शत्रु पर फेंके जाते हैं। इसके अलावा अन्य हथियार थे- गदा (लंबी कुल्हाड़ी) परशु (युद्ध कुल्हाड़ी) आदि। अग्नि अस्त्र वह मिसाइल है जो अग्नि का वहन करता है। आग्नेय अस्त्र के तीर को अग्नि बाण कहते हैं। इस बाण का सिरा गर्म होता है। ये तीर साधारण बाण से अधिक घातक होते हैं।

शुक्रनीति (शुक्राचार्य द्वारा युद्ध कौशल पर लिखित पुस्तक) में आग के हथियारों का वर्णन है। प्राचीन भारतीय गोला बारूद और तोप बंदूक बनाना जानते थे। ये लोग इनको युद्ध में प्रयुक्त करते थे। पुरानी पुस्तकों से पता चलता है कि बारूद को अग्निकुर्ण कहा जाता था। बंदूकों को नलस्त्र कहते थे। शुक्रनीति में गोला बारूद बनाने की विधियां अंकित हैं। यह गोला बारूद सज्जीरवार (Saltpetre), सल्फर और चारकोल आदि को अलग-अलग मात्रा में मिलाकर बनाया जाता था। यह गोला बारूद विरोधियों पर मिसाइल और रॉकेट दागने में भी काम आता था।

1.3.2 युद्ध के नियम

भारतीय सैन्य विज्ञान में दो तरह के युद्धों का जिक्र है- प्रथम 'धर्म युद्ध' और द्वितीय 'कूट युद्ध'। 'धर्मयुद्ध' धर्म की नीतियों पर आधारित होता है। यहाँ पर सैन्य स्वधर्म अर्थात राजाओं और योद्धाओं को नियमों का पालन करना होता है। दूसरे शब्दों में यह एक न्यायसंगत युद्ध था। इसमें समाज की स्वीकृति शामिल होती थी। वहीं दूसरी तरफ 'कूट युद्ध' एक अधर्मी और अनैतिक युद्ध था। यह युद्ध छिपकर लड़ा जाता था। हिन्दू युद्ध विज्ञान में नीति और शौर्य दोनों शामिल होते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्रथम दृष्टि में अकारण युद्ध लड़ना सामाजिक नियमों के विरुद्ध था।

धर्म विजय का तात्पर्य युद्ध जीतने की सही नीतियों से है। ये नीति योद्धा के आचरण पर निर्भर करती है। दोनों प्रकार के युद्धों का वर्णन धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, कमंडक, शुक्र और महाकाव्य (रामायण व महाभारत) तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में वर्णित है। एक विशेष बात यह थी कि कोई भी सेना फसल अथवा नागरिकों का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती थी। इसलिए किसान और सामान्य जन पर युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। प्राचीन सेना की नैतिकता आज की वर्तमान सेना भी मानती है।

1.3.3 युद्ध कूट

पुराने नियम बनाने वालों ने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में कानूनों को अंकित किया है। इनका उद्देश्य पुराने रिवाजों का मानवता के भले के लिए सही प्रयोग करना है। इन कानूनी पुस्तकों में राजा और योद्धाओं के लिए नियमों के अलग-अलग खंड बनाए गए हैं। एक क्षत्रिय को तीन कर्त्तव्य निभाने होते हैं- सीखना, त्यागना और उपहार भेंट करना। योद्धा और राजा एक समान विषय पढ़ते थे। उन्हें धनुर्वेद सीखना भी आवश्यक था। साथ ही अनुशासन और आज्ञाकारी होना बहुत महत्वपूर्ण था। आज भी एक सैनिक के लिए अनुशासित और आज्ञाकारी होना आवश्यक है। ये उसकी अच्छी आदत और गुण है। योद्धा की पहचान उसकी वेशभूषा होती है। वेशभूषा का हर भाग कूट संकेतों पर आधारित होता था। सैनिक का गणवेश और अलंकरण परिवेश के मुताबिक होना चाहिए।

योद्धा संहिता के अनुसार एक सैनिक की मृत्यु युद्ध के मैदान में हो। युद्ध के नियमों में हम देखते हैं कि-

- कवच पहने हुए क्षत्रिय को केवल उसी क्षत्रिय या सैनिक से लड़ना चाहिए जिसने कवच धारण किया हो।
- केवल एक ही दुश्मन से लड़ना चाहिए और अपंग विरोधी से नहीं लड़ना चाहिए।
- बुर्जुग व्यक्ति, महिला, बच्चे, वापिस या जान बचाकर भागने वाले या वे व्यक्ति जिन्होंने मुंह में भूसा या सूखा तिनका रखकर बिना शर्त आत्मसमर्पण किया हो, उनको नहीं मारना चाहिए।

यह भी जानना रुचिकर है कि एक नियम के अनुसार सेना को फल और फूल के बगीचे, मंदिर तथा अन्य पूजा स्थलों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। रामायण में भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है। जब युद्ध में रावण के तीर समाप्त हो गए तो राम ने उन्हें अगले दिन और तीर लेकर युद्ध के मैदान में आने को कहा। यह धर्मयुद्ध का सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक ऊंचे नियम के पालन का उदाहरण है।

पाठगत प्रश्न 1.2

1. क्षत्रिय कौन होते हैं?
2. युद्ध के किसी एक प्राचीन नियम के बारे में लिखिए जिसका भारतीय पालन करते थे।

आपने क्या सीखा

- प्राचीन भारतीयों में युद्ध लड़ने की तकनीक का उद्भव लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इसकी शुरुआत हड़प्पा काल में हुई थी और वैदिक काल में यह परिष्कृत हुई।
- सामाजिक परिवर्तनों के साथ युद्ध लड़ने के तरीके भी परिवर्तित हुए। नए हथियारों का प्रयोग होने लगा था।
- भारतीय सेना विज्ञान का उल्लेख पुरानी धर्म पुस्तकों जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में मिलता है।
- नियमित सेना की आवश्यकता वैदिक काल से प्रारंभ हुई और योद्धाओं को समाज का अलग व महत्वपूर्ण भाग माना जाने लगा। इनकी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर पर मान-सम्मान अधिक था क्योंकि ये राज्य के सुरक्षा कर्मी थे।
- प्राचीन भारतीय लोग अग्निअस्त्र बनाना जानते थे। शुक्रनीति में गोला बारूद और अन्य हथियारों का वर्णन मिलता है।

पाठांत प्रश्न

1. सीमा रेखा का निर्माण किस प्रकार हुआ? व्याख्या कीजिए।
2. प्राचीन काल में प्रचलित 'एक भारत' की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए।
3. प्राचीन भारत के किन्हीं चार योद्धा कूट के बारे में लिखिए?
4. क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत में प्रचलित योद्धा संहिता आज भी प्रासंगिक है?
5. अग्नि बाण और आग्नेय अस्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1

1. परिवार समाज की मूलभूत इकाई था। एक से ज्यादा परिवारों को जाति समूह कहते थे।
2. युद्ध का कारण आक्रमणकारियों से राज्य को बचाना था। अन्य कारण मवेशियों की सुरक्षा और महिलाएं थीं।

3. (क) ब्राह्मण

(ख) वैश्य

(ग) क्षत्रिय

1.2

1. सैनिक या योद्धा की जाति क्षत्रिय कहलाती थी।
2. हमें केवल एक ही सबल विरोधी से लड़ना चाहिए। विरोधी के अपंग होने की स्थिति में लड़ाई नहीं करनी चाहिए।